अ0शा0 परिपत्र सं: डीजी- 28 /2013

देवराज नागर
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1, तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनांक: जून 21, 2013

प्रिय महोदय,

अपराध नियंत्रण के कार्य में अपराध निरोधक समितियों का सहयोग लिये जाने विषयक इस मुख्यालय के अ0शा0 परिपत्र संख्या डीजी-48/2000 दिनांक 20-12-200 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें । उक्त निर्देशों के निर्गमन के बाद इस मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य आने पर कि अपराध निरोधक समितियों से पुलिस द्वारा जनपदों में अपेक्षित सहयोग नहीं लिया जा रहा है अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून-व्यवस्था, उ0प्र0 के पत्र संख्या: डीजी-आउ-92(10)2002 दिनांक 23-9-2002 द्वारा इस बिन्दु पर पुन: निर्देश पारित किये गये थे । अब भी कई जनपदों से इस बात की शिकायत प्राप्त हो रही है कि जनपदीय अपराध निरोधक समितियों का अपराध नियंत्रण आदि के कार्यों में पुलिस द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं लिया जा रहा है । यह स्थिति उचित नहीं है ।

2- आप सहमत होंगे कि जनसहयोग एवं जन सहभागिता के बिना अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रख पाना अकेले पुलिस विभाग के लिये संभव नहीं है । जितना अधिक जनसहयोग पुलिस को मिलेगा अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही में पुलिस को उतनी ही सुविधा होगी । इससे अपराधों में कमी आने के साथ-साथ अच्छा वातावरण भी सृजित होगा । इस पृष्ठभूमि में अपराध निरोधक समितियों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है । यह देखा गया है कि जिन जनपदों में पुलिस अधिकारियों द्वारा इस समिति के लोगों से अच्छा समन्वय स्थापित कर उन्हें उचित संरक्षण दिया जाता है वहां पुलिस को इनसे अच्छा सहयोग मिल रहा है । प्रदेश के अनेक जनपदों में ये समितियाँ पुलिस विभाग से अच्छा ताल-मेल बैठाकर कार्य कर रही है । धार्मिक पर्वों, त्यौहारों, जुलूसों, जलसों, मेलों में समिति के सदस्य यातायात नियंत्रण, असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और अन्य तरह के अपराधों को रोकने में सहायक हो रहे हैं । अपराध निरोध के अतिरिक्त संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर वहाँ व्याप्त तनाव को दूर करने में भी इन समितियों का सहयोग लिया जाना सर्वथा उपयुक्त होगा ।

3- इसी प्रकार जनपदों में भ्रष्टाचार निरोधक समितियाँ, मानवाधिकार समितियाँ एवं कई अन्य गैर सरकारी संगठन (N.G.O.) भी कार्यरत हैं । इनसे भी आवश्यक सहयोग पुलिस द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । इससे कुरीतियों को दूर करने, सामाजिक सरोकार से जुड़े विवादस्पद मुद्दों का आपसी सहयोग से सौहार्दपूर्ण समाधान

निकालने, सामाजिक सद्भाव बनाये रखने एवं मानवाधिकार संरक्षण के संवैधानिक दायित्व को और अधिक बेहतर ढंग से निभा पाने में पुलिस न केवल सक्षम होगी बल्कि इससे पुलिस का जनसहयोगात्मक स्वरूप में भी निखर कर सामने आयेगा ।

4- इस संबंध में आप सबको पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने जनपदों में अपराध निरोधक समितियों, भ्रष्टाचार निरोधक समितियों, मानवाधिकारी समितियों व अन्य गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों से थाना स्तर पर बेहतर समन्वय बनाये रखें और यथासमय उनके द्वारा आयोजित गोष्ठियों में जनपद स्तर के अधिकारीगण भी भाग लें जिससे अपराध नियन्त्रण, संवेदनशील स्थलों पर तनाव कम करने एवं सामाजिक समरसता बनाये रखने एवं इसी तरह के अन्य कार्यों में इन समितियों/संगठनों का सक्रिय एवं सार्थक सहयोग पुलिस को अनवरत मिलता रहे । कृपया इन निर्देशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

21-6-13

(देवराज नागर)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु :-

1- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।